ELV नियमों में 2026 का संशोधन: उत्पादक का EPR कब लागू होगा

प्रकाशन: 26 नवंबर 2026

समाचार-संदर्भ: 2026-11-20

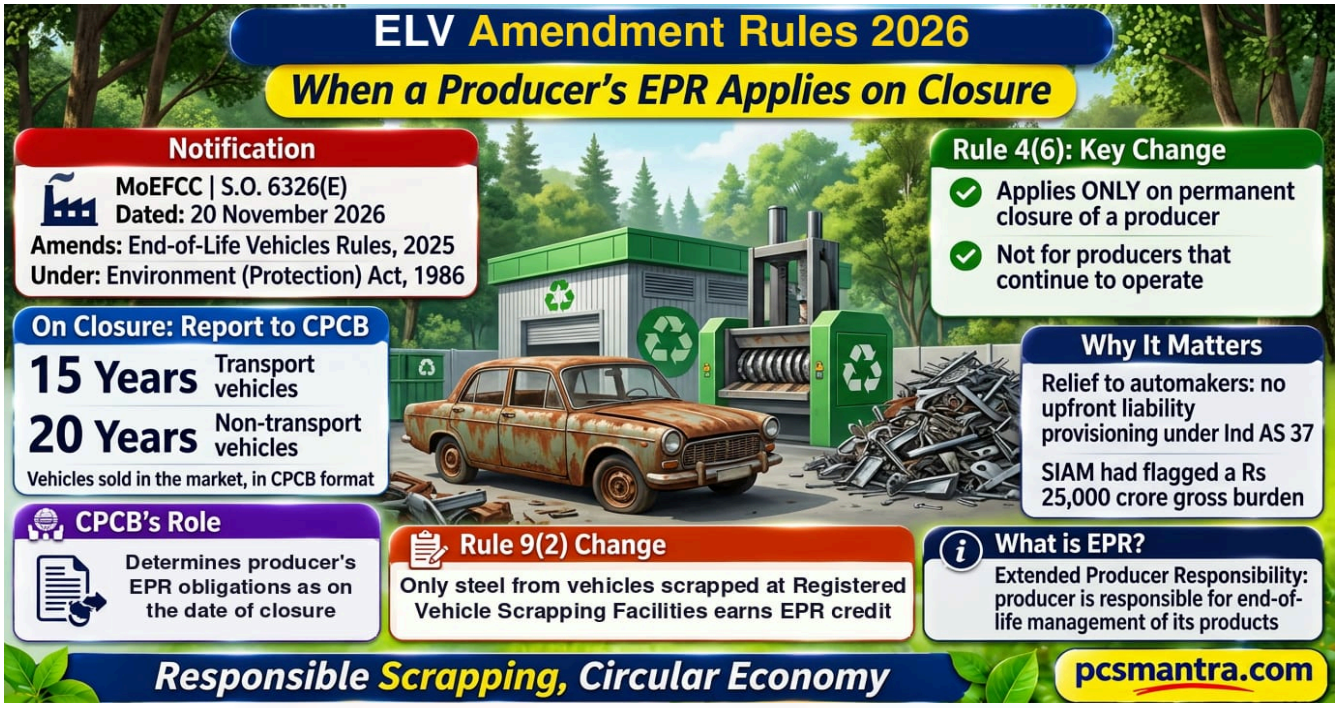

मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

का.आ. 6326(अ), 20 नवंबर 2026 | मुख्य परीक्षा: GS3, पर्यावरण

प्रमुख तथ्य

- अधिसूचना: पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्त वाले वाहन) संशोधन नियम, 2026, का.आ. 6326(अ), दिनांक 20 नवंबर 2026
- जारी करने वाला: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- मूल नियम: ELV नियम, 2025 (का.आ. 98(अ), 6 जनवरी 2025), लागू 1 अप्रैल 2025 से
- बदलाव: नियम 4 के उपनियम (6) में दो परंतुक जोड़े गए, नियम 9 के उपनियम (2) से एक वाक्यांश हटा
- प्रभावी: राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से

परिचय

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 20 नवंबर 2026 को का.आ. 6326(अ) जारी करके पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्त वाले वाहन) नियम, 2025 में संशोधन किया। इस संशोधन में केवल दो जगह बदलाव हैं: नियम 4 का उपनियम (6) और नियम 9 का उपनियम (2)।

दोनों नियम विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) से जुड़े हैं। EPR का अर्थ है कि किसी उत्पाद के जीवन के अंत में उसके निपटान की ज़िम्मेदारी उसे बाज़ार में उतारने वाले उत्पादक पर भी रहती है। ELV नियमों में यह ज़िम्मेदारी वाहनों के लिए तय की गई है।

मूल नियमों में क्या था

नियम 4(1) के अनुसार हर उत्पादक को अपने द्वारा बाज़ार में लाए गए वाहनों के लिए EPR पूरा करना है और अनुसूची में तय स्क्रैपिंग लक्ष्य पूरे करने हैं। उसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (नियमों में "केंद्रीय बोर्ड") के पोर्टल पर पंजीकरण कराना है, हर साल 30 जून तक पिछले वित्त वर्ष का वार्षिक विवरण (प्रपत्र 1) देना है और चालू वर्ष के EPR दायित्व की घोषणा 30 अप्रैल तक करनी है।

नियम 4(6) उस स्थिति के लिए था जब उत्पादक अपना परिचालन बंद कर दे। तब उसे बंदी तक बाज़ार में उतारे गए वाहनों के लिए EPR पूरा करना था।

नियम 9 EPR प्रमाणपत्र का है। केंद्रीय बोर्ड प्रमाणपत्र पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) के पक्ष में जारी करता है, और उत्पादक अपने दायित्व के लिए ये प्रमाणपत्र पोर्टल से ख़रीद सकता है। नियम 9(2) में प्रमाणपत्र का आधार RVSF में संसाधित ELV से निकले स्टील का वज़न था, साथ ही "वाहन क्षेत्र से जुड़ी अन्य स्टील स्क्रैप सामग्री" का वज़न भी, जो RVSF में संसाधित हो।

संशोधन में क्या बदला

नियम 4(6): पहला परंतुक। उपनियम (6) के प्रावधान तभी लागू होंगे जब उत्पादक अपना परिचालन स्थायी रूप से बंद करे। जो उत्पादक परिचालन जारी रखते हैं, उन पर यह उपनियम लागू नहीं होगा।

नियम 4(6): दूसरा परंतुक। स्थायी बंदी के समय उत्पादक केंद्रीय बोर्ड को उसके द्वारा तय प्रारूप में बताएगा कि पिछले पंद्रह वर्षों में उसने कितने परिवहन वाहन, या पिछले बीस वर्षों में कितने गैर-परिवहन वाहन, बाज़ार में उतारे। इसके बाद केंद्रीय बोर्ड बंदी की तारीख़ की स्थिति के अनुसार उस उत्पादक के EPR दायित्व तय करके उसे सूचित करेगा। दायित्व तय करते समय बोर्ड इस बारे में लागू सभी प्रावधानों को ध्यान में रखेगा।

नियम 9(2): हटाया गया वाक्यांश। "या रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र पर संसाधित अन्य स्टील स्क्रैप सामग्री" शब्द हटा दिए गए। अब प्रमाणपत्र का आधार RVSF में संसाधित ELV से निकला स्टील ही है।

पहले और अब

बिंदु	पहले (ELV नियम 2025)	अब (संशोधन 2026)
नियम 4(6)	उत्पादक परिचालन बंद करे तो बंदी तक बाज़ार में उतारे वाहनों का EPR पूरा करना	केवल स्थायी बंदी पर लागू, चालू उत्पादकों पर नहीं; बंदी पर 15 वर्ष (परिवहन) या 20 वर्ष (गैर-परिवहन) की बिक्री का ब्योरा बोर्ड को
बंदी का दायित्व	उपनियम में केवल बंदी तक के वाहनों का EPR पूरा करने की बात	बोर्ड बंदी की तारीख़ की स्थिति के अनुसार दायित्व तय करके बताएगा
नियम 9(2)	प्रमाणपत्र का आधार: ELV का स्टील और RVSF में संसाधित अन्य वाहन क्षेत्र का स्टील स्क्रैप	प्रमाणपत्र का आधार: RVSF में संसाधित ELV से निकला स्टील
नियम 4(1)	वार्षिक EPR, 30 जून और 30 अप्रैल की समय-सीमाएँ	अपरिवर्तित

क्या नहीं बदला

यह संशोधन नियम 4(1) को नहीं छूता। जो उत्पादक काम कर रहे हैं, उनके लिए पंजीकरण, 30 जून का वार्षिक विवरण, 30 अप्रैल की दायित्व घोषणा और अनुसूची के लक्ष्य पहले जैसे ही हैं। नया परंतुक केवल यह कहता है कि बंदी वाला उपनियम (6) उन पर लागू नहीं होगा। इसे वार्षिक EPR की छूट पढ़ना ग़लत होगा।

अधिसूचना पंद्रह और बीस वर्ष की अवधि को केवल बंदी के समय की जानकारी के लिए रखती है। बोर्ड का प्रारूप और दायित्व निकालने की विधि अधिसूचना में नहीं दी गई है। अधिसूचना कोई कारण भी नहीं बताती, इसलिए बदलाव के पीछे का तर्क पाठ से नहीं निकलता।

प्रक्रिया की स्थिति

संशोधन का प्रारूप 27 मार्च 2026 को का.आ. 1619(अ) के रूप में प्रकाशित हुआ था और साठ दिन में आपत्तियाँ और सुझाव माँगे गए थे। अंतिम अधिसूचना कहती है कि प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार कर लिया गया। अंतिम पाठ ही मान्य है, प्रारूप नहीं। अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से प्रभावी है।

निष्कर्ष

संशोधन का सार दो बातों में है। उत्पादक के बाहर निकलने पर EPR तय करने का तरीका अब स्पष्ट है: बंदी के समय बाज़ार में उतारे गए वाहनों का ब्योरा और उस तारीख़ का दायित्व। और प्रमाणपत्र की गणना का आधार ELV से निकले स्टील तक सीमित हुआ। चालू उत्पादकों की वार्षिक ज़िम्मेदारी जैसी थी, वैसी है।

मुख्य परीक्षा: अभ्यास प्रश्न

ELV नियम, 2025 में नवंबर 2026 के संशोधन के संदर्भ में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ढाँचे में वाहन उत्पादकों की बाध्यताओं का परीक्षण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में
EPR की अवधारणा बताइए और ELV नियम 2025 के नियम 4 और 9 का संक्षिप्त परिचय दीजिए। का.आ. 6326(अ) का उल्लेख कीजिए।
मुख्य भाग में
नियम 4(1) की चालू उत्पादकों की बाध्यताएँ (पंजीकरण, 30 जून का विवरण, 30 अप्रैल की घोषणा, लक्ष्य) लिखिए। फिर 4(6) के दो परंतुक, 15 और 20 वर्ष का ब्योरा और बोर्ड द्वारा दायित्व निर्धारण समझाइए। नियम 9(2) से हटाए गए वाक्यांश का प्रमाणपत्र की गणना पर असर बताइए। यह भी लिखिए कि प्रारूप और निर्धारण की विधि अधिसूचना में नहीं है।
निष्कर्ष में
बंदी के मामलों में स्पष्टता और बोर्ड के प्रारूप की ज़रूरत बताइए, तथा चालू उत्पादकों की बाध्यताएँ अपरिवर्तित रहने की बात दोहराइए।

प्रिलिम्स परीक्षा: अभ्यास प्रश्न

1. ELV (संशोधन) नियम, 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. नियम 4(6) के परंतुक के अनुसार यह उपनियम तभी लागू होगा जब उत्पादक अपना परिचालन स्थायी रूप से बंद करे।
2. यह संशोधन चालू उत्पादकों को नियम 4(1) के वार्षिक EPR दायित्वों से मुक्त करता है।

3. स्थायी बंदी पर उत्पादक को परिवहन वाहनों के लिए पिछले पंद्रह वर्ष और गैर-परिवहन वाहनों के लिए पिछले बीस वर्ष का ब्योरा केंद्रीय बोर्ड को देना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b)
कथन 1 सही है: पहला परंतुक उपनियम (6) को स्थायी बंदी पर ही प्रवर्तनीय बनाता है।
कथन 2 ग़लत है: संशोधन नियम 4(1) को नहीं बदलता। परंतुक केवल यह कहता है कि उपनियम (6) चालू उत्पादकों पर लागू नहीं होगा।
कथन 3 सही है: दूसरा परंतुक पंद्रह वर्ष (परिवहन) और बीस वर्ष (गैर-परिवहन) का ब्योरा माँगता है।

2. संशोधन के बाद ELV नियम, 2025 के नियम 9(2) के बारे में कौन-सा कथन सही है?

(a) प्रमाणपत्र RVSF में संसाधित वाहन क्षेत्र के अन्य स्टील स्क्रैप के आधार पर भी बन सकता है

(b) प्रमाणपत्र केंद्रीय बोर्ड सीधे उत्पादक के पक्ष में जारी करता है

(c) प्रमाणपत्र का आधार RVSF में संसाधित ELV से निकला स्टील है

(d) उपनियम (2) पूरी तरह हटा दिया गया है

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c)
विकल्प (c) सही है: संशोधन ने केवल "अन्य स्टील स्क्रैप सामग्री" वाले शब्द हटाए, इसलिए आधार ELV से निकला स्टील रहा।
विकल्प (a) ग़लत है क्योंकि वही शब्द हटाए गए हैं।
विकल्प (b) ग़लत है: नियम 9(1) के अनुसार प्रमाणपत्र RVSF के पक्ष में जारी होता है और उत्पादक उसे पोर्टल से ख़रीदता है।
विकल्प (d) ग़लत है: केवल कुछ शब्द हटे हैं, उपनियम बना हुआ है।

FAQ

संक्षेप में: का.आ. 6326(अ) नियम 4(6) को केवल स्थायी बंदी पर लागू करता है और नियम 9(2) से अन्य स्टील स्क्रैप का आधार हटाता है। चालू उत्पादकों के वार्षिक EPR दायित्व जैसे थे, वैसे हैं।

क्या चालू उत्पादकों को वार्षिक EPR से छूट मिली है?

नहीं। संशोधन में नियम 4(1) नहीं बदला है। नया परंतुक केवल बंदी वाले उपनियम (6) को चालू उत्पादकों पर अप्रवर्तनीय बनाता है। पंजीकरण, 30 जून का विवरण और 30 अप्रैल की घोषणा पहले जैसी हैं।

पंद्रह और बीस वर्ष की अवधि का क्या उपयोग है?

स्थायी बंदी के समय उत्पादक को परिवहन वाहनों के लिए पिछले पंद्रह वर्ष और गैर-परिवहन वाहनों के लिए पिछले बीस वर्ष में बाज़ार में उतारे गए वाहनों की जानकारी केंद्रीय बोर्ड को देनी है। उसी जानकारी पर बोर्ड बंदी की तारीख़ के दायित्व तय करता है।

नियम 9(2) में क्या हटाया गया?

"या रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र पर संसाधित अन्य स्टील स्क्रैप सामग्री" शब्द हटाए गए। अब प्रमाणपत्र का आधार RVSF में संसाधित ELV से निकले स्टील का वज़न है।

स्रोत

- भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3(ii), सं. 6086, 20 नवंबर 2026, का.आ. 6326(अ), सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112026-278144: https://egazette.gov.in/WriteReadData/2026/278144.pdf
- पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्त वाले वाहन) नियम, 2025, का.आ. 98(अ), 6 जनवरी 2025 (मूल नियम 4 और 9): https://eprelv.cpcb.gov.in/static/doc/ELV_Rules_2025.pdf